26/2/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उपर का उपस्थित
दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग
से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी
हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS 2015/00223

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 146/2015 GLMS-2015/00223 दायर दिनांक : 30.06.2015

1. मिश्री खां पुत्र सुलतान खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर सादानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (मृतक)

1/1. सुप्यार पत्नी मिश्री खां
1/2. भंवरी पुत्री मिश्री खां
1/3. मांगीखान पुत्र मिश्री खां
1/4. सायरा बानो पुत्री मिश्री खां
1/5. बुलकेश बानो पुत्री मिश्री खां
1/6. मोमिना बानो पुत्री मिश्री खां
1/7. शमिम बानो पुत्री मिश्री खां
1/8. अनवर अली पुत्र मिश्री खां

जाति मुसलमान निवासी राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
2. मोहन लाल
3. लिच्छीराम

पुत्रगण बीरबल राम अकवाम जाट निवासीयान बिरधवाल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक वादीगण
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 व 3
3. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ ।

निर्णय

दिनांक : 26.02.2026

पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। पक्षकारान के अभिभाषकगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में, पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी मिश्री खां ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 188, 207 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ... विवेचन किया कि वादी को सक्षम अधिकारी तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा ... 1983 में रोही उदयपुर सादानी तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 59/3 में ...1 बीघा व खसरा नं. 59/4 में 25.00 बीघा, कुल 26.01 बीघा का आरजी काश्त पर आवंटन कर कब्जा दिया

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:50 IST
Reason: SelfAttested

गया, जो आवंटन अनुसार आवंटन से लेकर आज तक वादी के कब्जा काश्त में है व समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा है। नकल ढ़ाल–बांछ व रकम जमा करवाने की रसीदें वाद के संलग्न हैं। वादी की आवंटित भूमि का नया खसरा नं. 37/13 बना व इसके 6.591 है0 भूमि पर काबिज काश्त है। आरजी काश्तकार होने से वादी इस भूमि का आरजी काश्तकार गैर खातेदार घोषित होने का पात्र है। यह भूमि पूर्व में उपनिवेशन अधिनियंम से अधिशासित थी। वर्तमान में उपनिवेशन से मुक्त होकर भू–राजस्व अधिनियम से अधिशासित है। प्रश्नगत भूमि वर्तमान में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के वादी के नाम आरजी काश्त से कलमज़न कर आराज़ीराज दर्ज कर दी गई है। इसे आराजीराज से कलमजन कर वादी को उक्त भूमि का आरजी काश्तकार गैर खातेदार जमाबन्दी में दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु वादी ने वाद प्रस्तुत किया। वाद चलन के दौरान मिश्री खां की मृत्यु होने पर उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया। इसके पश्चात् आदेश 01 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में हितबद्ध पक्षकार मानकर प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 को पक्षकार बनाया गया। वाद पूर्व में दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण के उपस्थित आने पर जवाब प्राप्त किया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद शेष प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब बन्द कर निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई :–

(1) आया वादी को टी.सी. आवंटन रोही उदयपुर सादानी के ख.नं. 59/3 को 5.01 बीघा व 59/4 की 25.00 बीघा, कुल 26.01 बीघा वर्ष 1983 का टी.सी. अलॉटी है ? (वादी)

(2) आया वादी को टी.सी. आवंटन के समय इसी रोही के ख.नं. 37/13 की 6.591 है0 रकबा का कब्जा दिया था व तब से आ़ज तक इसी भूमि पर काबिज काश्त करते रहने से इस रकबा को बतौर टी.सी. धारक घोषित करवाने का पात्र है ? (वादी)

(3) आया प्रतिवादी नं. 2–3 को जरिये [illegible] हित होने से दावा चलने योग्य नहीं है ? (प्रतिवादी)

(4) अन्य अनुतोष।

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

बाद कायमी तनकीयात साक्ष्य पक्षकारान प्राप्त किये गये। तनकीयात कायमी के समय पक्षकार मिश्री खां स्वयं जीवित था, उन्होंने शपथ–पत्र पर बयान प्रस्तुत किये व खेत पड़ौसियों के बयान हुए। बाद मृत्यु मिश्री खां मात्र प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 ने साक्ष्य प्रस्तुत किये, उनके शपथ–पत्र पर बयान प्रस्तुत नहीं हुए। वादी एवं प्रतिवादी के साक्ष्य बन्द होने के पश्चात् तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए स्वयं मिश्री खां व पड़ौसी भूमि के साक्ष्यों का अवलोकन करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी व रसीदात के आधार पर वाद को पूर्ण रूप से सिद्ध बताते हुए वाद मांग अनुसार स्वीकार कर वादी मिश्री खां के माध्यम से उनके वारिसों प्रतिवादीगण सं. 1/1 से 1/8 को रोही उदयपुर सादानी के खसरा नं. 37/13 की 6.591 है0 बारानी भूमि का बहिस्सा बराबर का गैर खातेदार घोषित करने व स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण जारी करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2–3 ने तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रथम तो स्वयं वादी के कथनानुसार उनको (वादी को) रोही उदयपुर सादानी के खसरा नं. 59/3 में 5.01 बीघा व 59/4 में 25.00 बीघा, कुल 26.01 बीघा का आवंटन बता रहे हैं, जबकि आवंटन का जोड़ 25.01 बीघा ही बनता है। वादी आवंटन अनुसार अनुतोष प्राप्त करने की मांग कर सकता है, वह भी आवंटन सिद्ध होने पर। इन दोनों खसरा नम्बर का खसरा नं. 37/13 किस प्रकार बना, यह मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं होने से वाद वादी सन्देह से परे दस्तावेजी साक्ष्य व स्वकथन वादी से सिद्ध नहीं होता। वादी द्वारा दस्तावेजी कब्जा काश्त टी.सी. नवीनीकरण से कतई साबित नहीं किया गया। वादी मिश्री खां की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना–पत्र केवल अनवर अली वादी सं. 1/8 के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे स्वीकार करते हुए उनके समस्त आठों वारिसों को वादीगण सं. 1/1 से 1/8 के रूप में पक्षकार बनाया हुआ है। 1/1 से 1/7 की तरफ से कोई अधिकार–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसके अभाव में [illegible] उनकी तरफ से पैरवी अनवर अली के अभिभाषक के द्वारा की जाती आ रही है [illegible] के नियम विरुद्ध व गलत है। इस कारण से वाद वादी चलने योग्य नहीं है। [illegible] वादी के द्वारा टी.सी. भूमि के सम्बन्ध में घोषणात्मक व चिरस्थाई निषेधाज्ञा का वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जबकि

क्रमशः ..... पेज 4 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

विधि अनुसार एक टी.सी. धारक घोषणात्मक एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि टी.सी. का आवंटन एक वर्ष की अवधि के लिए ही किया जाता है, उसके पश्चात् वह स्वतः ही निरस्त हो जाता है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में प्रस्तुत शपथ–पत्र पर जिरह हेतु वह न्यायालय द्वारा बार–बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुआ है, इसलिए जिरह बन्द कर दी गयी। वादी का शपथ–पत्र साक्ष्य में नियमानुसार नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए साक्ष्य वादी के अभाव में वाद वादी निरस्तनीय है। प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 द्वारा भू–आवंटन व खातेदारी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध किया गया है, इसलिए वाद वादी सन्देह से परे सिद्ध नहीं होने से निरस्त करने की प्रार्थना की। साथ ही निवेदन किया कि कानून की नजर से वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पढ़े जाने योग्य नहीं है। इन पर वादी द्वारा प्रदर्श अंकित नहीं करवाये गये, इसलिए वाद वादी निरस्त करने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का पठन व मनन करने के उपरान्त तनकीवार विस्तृत विवेचन निम्न प्रकार से हैं :–

तनकी नं. (1) – <u>आया वादी को टी.सी. आवंटन रोही उदयपुर सादानी के ख.नं. 59/3 को 5.01 बीघा व 59/4 की 25.00 बीघा, कुल 26.01 बीघा वर्ष 1983 का टी.सी. अलॉटी है ?</u> (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। इस तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी द्वारा पट्टा की फोटो कॉपी व जमाबन्दी सम्वत् 2042 की नकल पेश की है। प्रथमतः पट्टा आवंटन की फोटो प्रति मात्र ऑथ कमिश्नर से सत्यापित प्रस्तुत हुई है। फोटो कॉपी साक्ष्य में मान्य नहीं है। साक्ष्य अधिनियम अनुसार असल प्रति मय प्रदर्श साक्ष्य करवाकर अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त, जमाबन्दी, गिरदावरी प्रस्तुत हुई है, किन्तु यह भी प्रदर्श के अभाव में पढ़ी जाने योग्य नहीं हैं। यदि इनका अवलोकन किया भी जाता है तो आवंटन रोही उदयपुर सादानी के खसरा नं. 59/3 व 59/4 का 26.01 बीघा रकबा बताकर अनतोष खसरा नं. 37/13 के 26.01 बीघा का चाहा जा रहा है। खसरा नं. 37/13 पूर्व खसरा नं. 59/3 व 59/4 से बना हो, मिलान क्षेत्रफल उपलब्ध नहीं है। इन परिस्थितियों में पुष्ट साक्ष्य के अभाव में वादी को रोही उदयपुर सादानी के खसरा नं. 59/3 व 59/4 में 26.01 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:50 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

का आवंटिती आरजी काश्तकार सन्देह से परे सिद्ध नहीं होने से तनकी नं. 1 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (2) – आया वादी को टी.सी. आवंटन के समय इसी रोही के ख.नं. 37/13 की 6.591 है0 रकबा का कब्जा दिया था व तब से आज तक इसी भूमि पर काबिज काश्त करते रहने से इस रकबा को बतौर टी.सी. धारक घोषित करवाने का पात्र है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। वादी द्वारा स्पष्ट रूप से दस्तावेजी साक्ष्य से यह कहीं सिद्ध नहीं किया गया कि रोही उदयपुर सादानी के खसरा नं. 59/3 व 59/4 वास्तव में खसरा नं. 37/13, जो नया खसरा बना है, के कभी भाग रहे हों। मिलान क्षेत्रफल भी प्रस्तुत नहीं हुआ। यह भी सिद्ध नहीं किया कि कथित खसरा नं. 59/3 व 59/4, खसरा नं. 37/13 के चिपते या आसपास के खसरा हो। कब्जा दिये जाने की घटना बही मय दस्तावेजी साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं हुए। वादी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् जिरह हेतु उपस्थित नहीं हुए हैं, इसलिए उनके द्वारा साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ–पत्र सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार पढ़े जाने योग्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त नियमानुसार टी.सी. भूमि के सम्बन्ध में घोषणात्मक वाद नहीं लाया जा सकता है, इसलिए वाद विधि विरुद्ध प्रस्तुत होने व साक्ष्य अभाव में तनकी नं. 2 विरुद्ध वादी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. (3) – आया प्रतिवादी नं. 2–3 का जैरवाद भूमि में हित होने से दावा चलने योग्य नहीं है ? (प्रतिवादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 पर था। उनके शपथ–पत्र पर बयान नहीं है। सांथ ही प्रस्तुत साक्ष्य आवंटन खातेदारी आदि पर प्रदर्श न होने से तनकी नं. 3 विरुद्ध प्रतिवादी निर्णय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार तनकी नं. 1 व 2 विरुद्ध वादी निर्णय की जा चुकी है, इसलिए वाद वादीगण सन्देह से परे सिद्ध नहीं होने एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नहीं होने से वादी प्रस्तुत न किये जाने से इसे विधि विरुद्ध एवं आधारहीन मानकर खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमील कार्यालय दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 26.02.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
बइजलास – **भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.**

अनवान :–

1. **मिश्री खां पुत्र सुलतान खां जाति मुसलमान निवासी उदयपुर सादानी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (मृतक)**

1/1. सुप्यार पत्नी मिश्री खां
1/2. भंवरी पुत्री मिश्री खां
1/3. मांगीखान पुत्र मिश्री खां
1/4. सायरा बानो पुत्री मिश्री खां
1/5. बुलकेश बानो पुत्री मिश्री खां
1/6. मोमिना बानो पुत्री मिश्री खां
1/7. शमिम बानो पुत्री मिश्री खां
1/8. अनवर अली पुत्र मिश्री खां

जाति मुसलमान निवासी राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. **राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**
2. **मोहन लाल**
3. **लिच्छीराम**

पुत्रगण बीरबल राम अकवाम जाट निवासीयान बिरधवाल तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 92–ए, 188, 207 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 146 वर्ष 2015 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री भागीरथ बिश्नोई व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 श्री राकेश कुमार मनचन्दा एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण सन्देह से परे सिद्ध नहीं होने एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार चलने योग्य नहीं होने और साक्ष्य वादी प्रस्तुत न किये जाने से इसे विधि विरुद्ध एवं आधारहीन मानकर निरस्त किया जाता है।

नोज ....×......... मुबलिंग ....×......... बाबत ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. [illegible] ....×...........आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 26.02.26 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.02.26 13:16:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़